संख्या– 27/25/2009–एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
एस.आर. अनुभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 23 अप्रैल, 2010

23 APR 2010

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

विषय: चिकित्सकीय/वास्तविक व्यथा से आच्छादित प्रकरणों पर राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 17 नवम्बर,2009 को आयोजित 74 वीं बैठक में विचार

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहना का आदेश हुआ है कि राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 17 नवम्बर,2009 को आयोजित 74 वीं बैठक में विचारोपरांत कमेटी ने संलग्नक में नामित कार्मिकों के अभ्यावेदनों को अस्वीकृत करने की सिफारिश की है । विस्तृत ब्यौरा संलग्नक पर है ।

कमेटी द्वारा इन मामलों में जो सिफारिशें की गईं उन्हें भारत सरकार द्वारा वास्तविक/चिकित्सकीय व्यथा के अन्तर्गत के अंतर्गत मान लिया गया है। संलग्नक में नामित कार्मिकों के उत्तराखण्ड राज्य आवंटन का परिशोधन नहीं करने का निर्णय लिया गया है ।

कृपया संबंधित अधिकारियों को इन निर्णयों से अवगत करा दिया जाए ।

भवदीय

(वी. पेद्दन्ना)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रति:–

1. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
2. श्री सुभाष कुमार, प्रधान सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।

संलग्नक 31 कार्मिकों की सूची

23 APR 2010

राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 17 नवम्बर,2009 को आयोजित 74 वीं बैठक में वास्तविक/चिकित्सकीय व्यथा के अन्तर्गत अस्वीकार किये प्रत्यावेदन

(अ) उच्च शिक्षा विभाग

कमांक	कार्मिकों का नाम/ पदनाम/तैनाती	प्रत्यावेदन में अंकित बीमारी	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति	राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुति
1	2	3	4	5
1	डा. राजीव सिंह कनौजिया, वरिष्ठ प्रवक्ता–राज.विज्ञान, राज. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनीताल।	स्वयं हृदय रोग ग्रसित।	डा0 राजीव सिंह कन्नौजिया का परीक्षण कार्डियोलोजिस्ट बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ से कराया गया। चिकित्सक की राय के अनुसार श्री कनौजिया आर0एच0डी0 व गम्भीर हृदय रोग के केस है तथा इन्हें नियमित उपचार की आवश्यकता है व इन्हे हल्के कार्य की सलाह दी जाती है। राज्य चिकित्सा परिषद उ0प्र0 उक्त विशेषज्ञ अभिमत से सहमत है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई ।
2	श्री रवि प्रकाश, प्रवक्ता–समाज शास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ऋृषिकेश, देहरादून।	माता श्रीमती सुमित्रा देवी अस्थि एवं हृदय रोग तथा उच्च रक्तचाप से पीड़ित तथा पिता वृद्व,अशक्त शिथिलांग, अस्थि एवं हृदय रोगी है।	1– इनका परीक्षण वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ से कराया गया। चिकित्सक की राय के अनुसार श्रीमती सुमित्रा देवी आर्थोप्लास्टी लेफ्ट शोल्डर की फालोथ्रू केस है तथा इन्हें नियमित विशेषज्ञ जांच एवं उपचार की आवश्यकता है। 2– श्री रामदेव सनग्रही का विशेषज्ञ परीक्षण वरिष्ठ आर्थो सर्जन बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ से कराया गया। श्री रामदेव सनग्रही ग्रास नी डैमेज के केस है तथा इन्हें टोटल नी रिप्लेसमेन्ट की आवश्यकता है जो कि किसी उच्च चिकित्सा संस्थान में ही सम्भव है। राज्य चिकित्सा परिषद,उ0प्र0 उक्त विशेषज्ञ अभिमत से सहमत है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई ।

(ब) माध्यमिक शिक्षा विभाग

कमांक	कार्मिकों का नाम/ पदनाम/तैनाती	प्रत्यावेदन में अंकित बीमारी	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति
1	2	3	9	5
1	श्री विजय प्रकाश दीक्षित, प्रवक्ता (रसायन विज्ञान), राजकीय इण्टर कालेज, नैनीताल।	माता श्रीमती लीलावती दीक्षित विकलांग	श्रीमती लीलावती दीक्षित अस्टियोआर्थराईटिस राईट नी विद लम्बर स्पान्डलोसिस विद स्करेलाईजेशन आफ एल–5 की केस है तथा इन्हें नियमित उपचार की आवश्यकता है।	श्रीमती लीलावती दीक्षित माता श्री विजय प्रकाश दीक्षित विकलांग है और आश्रितों की विकलांगता उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
2	डा. विनय कुमार सिंह,प्रवक्ता (इतिहास), राज. इण्टर कालेज, ज्योलीकोट,नैनीताल।	स्वयं के दॉये पैर में कम्पाउण्ड फैक्चर।	डा0 विनय कुमार सिंह फैक्चर लेफ्ट एन्कल विद पैलपेबलु टिशु के केस व लम्बी दूरी तक चलने फिरने व चढ़ने उतरने में समर्थ नहीं है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
3	श्रीमती शशि गुप्ता, सहायक अध्यापिका, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाथीबड़कला, देहरादून।	सास जी को लगातार चक्कर आते रहते है जिससे वह अचानक बेहाश हो जाती है और लगभग 4–5 दिनों बाद ही सामान्य हो पाती है उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है।	श्रीमती प्रतिभा गुप्ता ब्रान्कियल एस्थमा विद जसरेलाईज्ड सीजर्स विद अनकन्ट्रोल्ड हाईपरटेन्शन विद आई0एच0डी0 की रोगी है तथा इन्हें नियमित विशेषज्ञ जांच एवं उपचार की आवश्यकता है। जिसके लम्बे समय तक चलने की सम्भावना है। इन्हें नियमित अटेण्डेन्ट की भी आवश्यकता है।	सास के आश्रितों की श्रेणी में न आने व उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।

(वि० पेद्दन्ना/V PEDDANNA)
उप सचिव/Deputy Secretary
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Deptt of Personnel & Trg.
भारत सरकार/Govt. of India

4	श्री विजय शंकर, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, राजगढ़ी, उत्तरकाशी।	पत्नी गम्भीर हृदय रोग एवं डायबटीज रोग से पीड़ित है। जनपद जौनपुर, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है। पत्नी का इलाज इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में चल रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में तैनाती के कारण पत्नी के इलाज एवं बच्चो की देखरेख एवं शिक्षा में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।	श्रीमती किरन तिवारी का स्वास्थ्य परीक्षण बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ से कराया गया। परामर्शदाता कार्डियोलोजी बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ की राय दिनांक 31-05-2008 के अनुसार श्रीमती किरन तिवारी हृदय रोग की रोगी है तथा इनका उपचार आगे भी चलने की सम्भावना है। राज्य चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 उक्त विशेषज्ञ अभिमत से सहमत है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
5	श्री स्वतन्त्र कुमार गुप्ता, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, गेंवला-उत्तरकाशी।	पत्नी /बच्चे पैतृक राज्य उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में निवासित है। माता जी हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग तथा शुगर रोगों से ग्रस्त है।	श्रीमती सुशीला देवी हाईपरटेन्शन विद डायबेटीज मैलाईटिस विद रिमिशनआफ हाईपोथाईराईडिज्य की उपचाराधीन केस है तथा इन्हें लम्बे समय तक नियमित विशेषज्ञ जांच एवं उपचार की आवश्यकता है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
6	श्री रामबुझ यादव, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, बनचौरा, उत्तरकाशी।	उत्तर प्रदेश के जिला अम्बेडकर नगर के मूल निवासी है तथा 10 वर्षीय पुत्र मूक बधिर है।	श्री अंकुर यादव बाईल्टेल सेनसोरी न्यूरल हियरिंग लास के विकलांग है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ,उत्तरकाशी द्वारा निर्गत विकलांग प्रमाण पत्र दिनांक 3-10-2007 के अनुसार इनकी हियरिंग विकलांगता 100 प्रतिशत है। उक्त के आधार पर इनके डेफनेस की पुष्टि की जाती है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
7	श्री संजय कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, घोड़ाखुरी-टिहरी गढ़वाल।	वृद्व पिता दमा व जोड़ों के दर्द से पीड़ित है।	श्री खेम करन लाल का परीक्षण वरिष्ठ वरिष्ठ फीजिशियन बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ से कराया गया। वरिष्ठ फीजिशियन बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ की राय दि.25-9-2008 के अनुसार श्री खेम करन लाल हाईपरटेन्शन विद आई एच0डी0 विद एल वी.एफ के रोगी है।राज्य चिकित्सा परिषद् ,उ0प्र0 उक्त विशेषज्ञ अभिमत से सहमत है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
8	श्री जयराम, प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज, जखोल, उत्तरकाशी।	पत्नी शादी के 10 वर्षो के उपरान्त भी निःसन्तान है जिनका इलाज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में चल रहा है। माता जी श्वास रोग तथा दृष्टि दोष से पीड़ित है।	1- श्रीमती गुलाब का परीक्षण हृदय रोग विशेषज्ञ बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ से कराया गया। कार्डियोलोजिस्ट बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ की राय के अनुसार श्रीमती गुलाब टेन्शन विद कारोनेरी आर्टरी डिजीज की रोगी है तथा इन्हें नियमित उपचार की आवश्यकता है। वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ की राय के अनुसार उनकी आंखों की रोशनी काफी कम है तथा मोतियाबिन्द की शुरूआत है व इनको निरन्तर इलाज की आवश्यकता है। राज्य चिकित्सा परिषद् उ0प्र0 अभिमत से सहमत है। 2- श्रीमती मंजू का परीक्षण वी0अ0बा0 महिला चिकित्सालय,,लखनऊ से कराया गया। चिकित्सक की राय के अनुसार श्रीमती मंजू प्राईमेरी स्टरिलिटी का केस है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के कारण है। राज्य चिकित्सा परिषद् उ0प्र0 उक्त विशेषज्ञ अभिमत से सहमत है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।

उप सचिव/Deputy Secretary
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
भारत सरकार/Govt. of India

9	श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चन्द्रापुरी कला, हरिद्वार।	माता मधुमेह,उच्च रक्तचाप एवं हृदय की बीमारी से तथा पिता अस्थमा,हृदय एवं उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। माता–पिता की इकलौती सन्तान होने के कारण परिवार की समस्त जिम्मेदारी स्वयं पर ही है।	राज्य चिकित्सा परिषद्, देहरादून के परीक्षणोपरान्त श्रीमती रमलेश देवी को हाईपरटेन्शन, डायबटिज, इनजाइना, एट्रियल फाईबिकेशन के रोग से ग्रसित पाया गया। उन्हें नियमित जांच एवं उपचार की आवश्यकता है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
10	श्री दान बहादुर कश्यप, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, कलोगी–उत्तरकाशी।	उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद सुल्तानपुर के मूल निवासी है तथा माता श्रीमती दासी शत–प्रतिशत विकलांगता से पीड़ित है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र के अनुसार श्रीमती दासी अब्स्ल्यूट ग्लूकोमा बोथ आई (शप्रतिशत विकलांग) हैं। राज्य चिकित्सा परिषद,उ0प्र0 उक्त से सहमत है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
11	श्री शैलेश कुमार, प्रवक्ता, एस0सी0ई0आर0टी0, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल	माता हृदय रोग व उच्च रक्तचाप से पीड़ित है जिनको बलरामपुर चिकित्सालय के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा ळ्च्ळ, लखनऊ में इलाज की संस्तुति की गई है।	श्रीमती शशी बाला श्रीवास्तव डिजेनरेटिव चेन्जस एट सी5–एल 6 की केस है तथा उक्त हेतु इन्हें एस0जी0पी0जी0आई0 मेडिकल कालेज जैसे उच्च संस्थान में नियमित उपचार की आवश्यकता है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
12	श्री कमलेश कुमार,सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, दुआधार, टिहरी गढ़वांल	पत्नी श्रीमती संजय तिवारी गम्भीर हृदय रोग से पीड़ित है और हृदय के डपजतंस टंसअम एवं तिवजपब टंसअम सिकुड़कर खराब हो चुके है। उत्तराखण्ड राज्य में तैनाती के कारण पत्नी की देखभाल करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।	श्रीमती संजय तिवारी का विशेषज्ञ परीक्षण बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ के कार्डियोलोजिस्ट से कराया गया। कार्डियोलोजिस्ट बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ की राय के अनुसार श्रीमती संजय तिवारी आर0एच0डी0 विद एम0एस0 (मोड) की रोगी है तथा इन्हें उक्त के नियमित विशेषज्ञ जांच एवं उपचार की आवश्यकता है। राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश उक्त विशेषज्ञ अभिमत से सहमत है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
13	डा0 मिथिलेश कुमार ओझा, प्रवक्ता– गणित, राजकीय इण्टर कालेज, देवलीखेत, अल्मोड़ा।	पत्नी संध्या ओझा को थाराईट तथा ऑखों के डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार इलाज हेतु गर्म जलवायु की आवश्यकता होना बताया गया है	श्रीमती संध्या ओझा का विशेषज्ञ परीक्षण विभागाध्यक्ष नेत्र विभाग, [illegible] लखनऊ से भी कराया गया। विभागाध्यक्ष नेत्र विभाग की राय के अनुसार श्रीमती संध्या ओझा एटोपिक एलर्जी की केस है व पहाड़ी क्षेत्र में ओकुलर एलर्जी विद ब्रान्कियो स्पाज्म बढ़ने की सम्भावना है इन्हें नियमित विशेषज्ञ जांच एवं उपचार की आवश्यकता है। चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0 उक्त विशेषज्ञ अभिमत से सहमत है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
14	श्री सुशील कुमार द्विवेदी, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, ओखलाखाल, टिहरी गढ़वाल।	वृद्व माताजी का हृदय काआपरेशन पी0जी0आई0, लखनऊ में हुआ है तथा इनका इलाज निरन्तर जारी है।	श्रीमती विद्यादेवी रिहयूमेटाईड हार्ट डिजीज विद वोलबुल्र रिप्लेसमेन्ट की फालो थू केस है तथा इन्हें उक्त हेतु नियमित विशेषज्ञ जांच एवं उपचार की आवश्यकता है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
15	श्री दीपक कुमार शुक्ल, प्रवक्ता–भौतिक विज्ञान, राजकीय इण्टर कालेज, छापराधार, टिहरी गढ़वाल।	पिता वृद्वावस्था जनित अनेकानेक बीमारी से पीडित।	श्री केशव राम शुक्ता पिता श्री दीपक कुमार शुक्ल का विशेषज्ञ परीक्षण विभागाध्यक्ष नेत्र विभाग सी0एस0एम0एम0यू0, लखनऊ से कराया गया। विभागाध्यक्ष नेत्र विभाग की रिपोर्ट के अनुसार श्री केशव राम शुक्ला ग्रेड–111 कैटरैक्ट बोथ आई के केस है तथा उक्त हेतु इन्हें आपरेशन की सलाह दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें कार्नियल एटिगमेटिस्म भी है जो कि कन्जेनाईटल प्रतीत होता है व यह डिजीज की श्रेणी में नहीं आता है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।

(वि0 पेद्दन्ना/V PEDDANNA)
उप सचिव/Deputy Secretary
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
भारत सरकार/Govt. of India

16	श्री विनोद कुमार शुक्ला, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, बगियाल, टिहरी गढ़वाल।	पत्नी हड्डी रोग से पीड़ित।	राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा श्रीमती सुनीता शुक्ला के चिकित्सा अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिन्हें फिक्स्ट फलेक्सन डिफार्मिटी आफ राईट एल्बो का केस बताया गया है तथा इनका डिसेबिल्टी का प्रतिशत 45 प्रतिशत बताया गया है। श्रीमती शुक्ला परमानेन्ट ली फिजिकली डैण्डीकेप्ड है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
17	श्री तेजपाल सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, धारचूला, पिथौरागढ़।	70 वर्षीय वृद्व माता जिनके कूल्हे के फैक्चर का आपरेशन हो चुका है से पीड़ित।	श्रीमती रामा देवी माता श्री तेजपाल सिंह के स्वास्थ्य का परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा किया गया। श्रीमती रामा देवी आर्थेराईटिस विद हाईपरटेन्शन विद फैक्चर लैफ्ट नेक फीमर की केस है तथा इन्हें नियमित उपचार की आवश्यकता है। यह बिना सपोर्ट के चलने–फिरने में असमर्थ है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
18	श्री उदित नारायण शर्मा, प्रवक्ता–भौतिक विज्ञान, राजकीय इण्टर कालेज, कोचियार, पौड़ी गढ़वाल।	पुत्री कु0 प्रगति शर्मा गम्भीर रूप से बीमार एवं वर्तमान में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में इलाज प्रचलित।	कु0 प्रगति शर्मा पुत्री श्री उदित नारायण शर्मा के राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सा अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त इन्हें एन0य0डी0 की एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में उपचाराधीन केस बताया गया है तथा नियमित विशेषज्ञ जॉच एवं उपचार की सलाह दी गयी है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
19	श्री कमल कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ओबरी, टिहरी गढ़वांल	स्वयं हृदय रोगी।	श्री कमल कुमार का विशेषज्ञ जॉचोपरान्त राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा आई एच डी विद हाईपरटेन्शन विद एन्जाईना विद एल वी एफ का रोगी तथा इन्हें अखित भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को संदर्भित किये जाने की सलाह दी गयी है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
20	श्री अखिलेश कुमार अवस्थी, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, देवलधार, टिहरी गढ़वांल	वृद्व पिताजी जिनके दोनों गुर्दे खराब हो चुके है व उनकी नियमित रूप से डायलिसिस करानी पड़ रही है।	श्री शिव वीर शुक्ला का विशेषज्ञ परीक्षण वरिष्ठ परामर्शदाता नेफ्रोलोजी विभाग, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ से कराया गया। वरिष्ठ परामर्शदाता की राय के अनुसार श्री शुक्ला डायबेटीज मैलाइटिस टाईप–11 विद ई0एस0आर0डी0 के उपचाराधीन केस है तथा इन्हें उक्त गुर्दा रोग के नियमित विशेषज्ञ जाच एवं उपचार तथा अटेन्डेन्ट की आवश्यकता है। राज्य चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 उक्त विशेषज्ञ अभिमत से सहमत है।	ससुर के आश्रितों की श्रेणी में न आने व उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई ।
21	श्री शिव कुमार त्रिवेद्वी, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, सेमण्डीधार, टिहरी गढ़वांल	पुत्र श्री सत्यम की ओपेन हार्ट बाई पास सर्जरी सए0जी0पी0जी0आई, लखनऊ से करायी है।	राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश की राय के अनुसारस श्री सत्यम सीसीएचडी–टाईकस्पिड अटेसण, वी0एस0डी0, पीएस, एन एस आर तथा करोनेरी एन्जियोग्राफी के फालोर्थ्रू केस है तथा इनके द्वारा उक्त हेतु एस0जी0पी0जी0आई, लखनऊ में उपचार कराया जा रहा है। श्री सत्यम को हृदय रोग हेतु नियमित विशेषज्ञ जांच एवं उपचार की आवश्यकता है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
22	श्री गिरीश कुमार, प्रवक्ता–भौतिकी विज्ञान,राजकीय इण्टर कालेज, मनान, अल्मोड़ा।	स्वयं क्रानिक ब्रान्कियल अस्थमा रोग से गम्भीर रूपसे पीड़ित।	राज्य चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 द्वारा श्री गिरीश कुमार को क्रानिक ब्रान्कियल एस्थमा के केस बताया गया है तथा इन्हें नियमित विशेषज्ञ जांच एवं उपचार की आवश्यकता बतायी गयी है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।

Deputy Secretary
Deptt. of Personnel & Trg.
Govt. of India

(स) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक	कार्मिकों का नाम/ पदनाम/तैनाती	प्रत्यावेदन में अंकित बीमारी	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति	राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुति
1	2	3	4	5
1	श्री विजय कुमार सिंह, नेत्र सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटीसैण, पौड़ी गढ़वाल	वृद्व पिता हृदय रोग से ग्रसित है तथा जिनका इलाज जे0एन0मेडिकल कालेज, अलीगढ़ में चल रहा है। पैतृक सम्पत्ति अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में।	श्री प्रहलाद सिंह का विशेषज्ञ परीक्षण कार्डियोलोजिसट बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ से कराया गया। वरिष्ठ परामर्शदाता हृदय रोग बलरामपुर चिकित्सालय की राय के अनुसार श्री प्रहलाद सिंह हाईपरटेन्शन विद एन्जाईना के केस हैं तथा इन्हें नियमित विशेषज्ञ जांच एवं उपचार की आवश्यकता है। राज्य चिकित्सा परिषद् उ0प्र0 उक्त विशेषज्ञ अभिमत से सहमत है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
2–	श्रीमती सुधा पाण्डेय, उपचारिका, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोहाघाट, चम्पावत।	पति श्री श्याम नारायण पाण्डेय हृदय रोग से पीड़ित।	चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0 ने श्री श्याम नारायण पाण्डेय पति श्रीमती सुधा पाण्डेय को सन्कोपल एटैक्स, ब्ठ च्वेज च्व के बैडङ, लखनऊ में उपचाराधीन केस बताया गया है जिन्हे नियमित विशेषज्ञ जांच एवं उपचार की सलाह दी गई है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।

अन्य प्रकरण

क्रमांक	कार्मिकों का नाम/ पदनाम/तैनाती	प्रत्यावेदन में अंकित बिन्दु/बीमारी	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति/अन्य बिन्दुओं से संबंधित विवरण	राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुति
1	2	3	4	5
1	श्री रवीन्द्र कुमार मिश्र, प्रवक्ता, जिला संसाधन केन्द,(मिनी डाइट) लोहाघाट, चम्पावत।	उत्तर प्रदेश मूल निवासी। डायबिटीज/ ब्लड प्रेशर तथा अर्थराइटिस रोग से पीड़ित। 88 वर्षीय वृद्व माता की देखरेख करने वाला उनके अलावा कोई नहीं।	राज्य चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0 द्वारा श्री रवींद्र कुमार मिश्र कैल को स्पर लेफ्ट एन्कल का रोगी बताया गया है जिन्हें उपचार की सलाह दी गई है।	श्री मिश्र 50 प्रतिशत से कम विकलांग होने एवं उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
2	श्री महेश चन्द्र सक्सेना, प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कॉलेज, गणाई गंगोली, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।	स्वयं पैरो से विकलांग एवं पर्वतीय जलवायु 90 वर्षीय वृद्व माता के प्रतिकूल।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र में श्री महेश चन्द्र को 40 प्रतिशत विकलांग बतलाया गया है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
3	श्री सत्यम् शिवम् सुन्दरम्, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कॉलेज, रघुलीपीपल, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।	68 वर्षीय वृद्व मॉ डायबिटीज एवं आर्थराइटिस रोग से ग्रसित, 78 वर्षीय वृद्व पिता हृदय रोग,वात रोग एवं मोतियाबिन्द रोग से पीड़ित तथा पत्नी उदर रोग से पीड़ित जिनका इलाज वर्ष 2004 से प्रचलित।	माता श्रीमती रीवा देवी डायबैटीज मैलाईटिस विद हैमिपेरेसिस की फालोथू केस है जिन्हें लम्बे समय तक विशेषज्ञ जॉच एवं उपचार की आवश्यकता बतायी गयी है। पिता श्री राम दुलारे हृदय रोग,सर्वाईकल स्पान्डलोसिस विद जनरल डिबेल्टि डयू टू ओल्ड एज के केस है जिन्हें नियमित विशेषज्ञ जॉच एव उपचार की आवश्यकता बतायी गयी है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
4	श्री पंकज तिवारी, वित्त नियन्त्रक, वन विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड।	माता एवं पिता हृदय रोग से पीड़ित है एवं माताजी को अपोलो हास्पिटल, नई दिल्ली द्वारा बाई–पास सर्जरी का परामर्श दिया गया है एवं वर्तमान में उनका इलाज लखनऊ में चल रहा है।	राज्य चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0 द्वारा श्रीमती रागिनी तिवारी को करोनेरी आर्टरी डिजीज का रोगी बताया गया है तथा इन्हें इन्जियोग्राफी/सीएबीजी के विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता बतायी गयी है।। जिसके लिये इन्हें एस0जी0पी0जी0आई, लखनऊ को सन्दर्भित किया गया है। इन्हें लम्बे समय तक नियमितस विशेषज्ञ जांच एवं उपचार की आवश्यकता बतायी गयी है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
5	श्री सुधीर कुमार पाण्डेय, ज्येष्ठ रसायनज्ञ, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, लखनऊ।	पिता 60 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग।	राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा श्री सुखदेव प्रसाद पाण्डेय, पिता श्री सुधीर कुमार पाण्डेय, एम्प्यूटेशन ऑफ लेग अबव नी विद फ्रोजन शोल्डर की स्थायी विकलांगता के केस बताया गया है तथा इन्हें 60 प्रतिशत विकलांग घोषित किया गया है।	प्रकरण उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।

उपसचिव/Deputy Secretary
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
भारत सरकार/Govt. of India